उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2001 की दूसरी अपील संख्या 857
(1988 का पुराना नंबर एसए नंबर 2038)
(सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत)

1. नानक चंद पुत्र श्री जगदत्त
निवासी 125 करणपुर, देहरादून (मृतक)
1/1 श्रीमती. राजदुलारी पत्नी स्वर्गीय श्री नानक चंद (मृत)
1/2 कमल यादव पुत्र स्वर्गीय श्री नानक चंद (मृत)
1/2/1 रेखा यादव पत्नी स्वर्गीय कमल किशोर यादव
निवासी मकान नंबर 69, मोहल्ला करनपुर,
वार्ड संख्या 11, नगर निगम, देहरादून
1/2/2 वैभवी यादव पुत्र कमल यादव
निवासी मकान नंबर 69 करणपुर मार्केट,
देहरादून, देहरादून जीपी चकराता, देहरादून
1/3 श्री अमित यादव पुत्र स्वर्गीय श्री नानक चंद
1/4 सुश्री सुनीता यादव सुपुत्री स्वर्गीय श्री नानक चंद
दोनों निवासी 69 करणपुर, देहरादून
2. जोग दत्त पुत्र श्री पत्तन
श्रीमती के भाई भगवान देवी (मृतक)
2/1 वासुदेव पुत्र स्वर्गीय श्री जगदत्त
निवासी 251, पंडितवारी गुडगाँव,
देहरादून ....अपीलकर्ता

बनाम

1. दया राम पुत्र श्री भभूति
निवासी डोईवाला, परगना परवा,

पीओ डोईवाला, देहरादून

1/1 राम किशोर

1/2 शांति प्रसाद

1/3जगदीश प्रकाश

1/5 चन्द्र किशोर,

स्वर्गीय श्री दया राम के सभी पुत्र

1/5 श्रीमती. रामकली

1/6 श्रीमती. चंद्रकला

श्री दया राम की सभी पुत्री

1/7 श्रीमती. सोना देवी पत्नी श्री जग प्रसाद,

सभी निवासी डोईवाला, जिला देहरादून

श्री चन्द्र किशोर के माध्यम से सम्मन की तामील,

पुत्र स्वर्गीय श्री दया राम निवासी डोईवाला जिला देहरादून

2. श्रीमती. जगदेवी पत्नी श्री नंद लाल
ग्राम लछमीपुर निवासी,
डाकघर चंद्रपुर, जिला-देहरादून

3. जग मोहन पुत्र श्री पाटन
श्रीमती के भाई भगवान देवी (मृतक)
ग्राम लछमीपुर निवासी,
डाकघर चंद्रपुर, जिला-देहरादून

4. शिव प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री मेवा लाल
श्रीमती का भतीजा. मृतक भगवान देवी
ग्राम लछमीपुर निवासी,
डाकघर चंद्रपुर, जिला-देहरादून

5. श्रीमती. सुशीला पत्नी श्री राम चंदर
श्रीमती की भतीजी. मृतक भगवान देवी
कुआंवाला, पोस्ट ऑफिस हर्रावाला,
देहरादून .....प्रतिवादी

श्री बी.पी. नौटियाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मोहम्मद द्वारा सहायता प्रदान की गई। मतलूब, वकील
अपीलकर्ता
प्रतिवादी के वकील श्री सुधीर कुमार और श्री तरूण लखेरा।

<u>प्रति: माननीय लोकपाल सिंह, जे.</u>

वर्तमान दूसरी अपील विद्वान तृतीय अपर द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 30.08.1988 के विरुद्ध निर्देशित है। सिविल जज, देहरादून ने 1979 की सिविल अपील संख्या 52 "दयाराम बनाम भगवान दाई" में, जिसके तहत अपीलीय न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और मुकदमे द्वारा पारित मुकदमे को खारिज करने के निर्णय और डिक्री को उलट कर वादी/प्रतिवादी के मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि वादी/प्रतिवादी ने न्यायाधीश, एससीसी की अदालत में 1976 का एससीसी मुकदमा संख्या 23 इस कथन के साथ स्थापित किया कि वादी संपत्ति संख्या का मालिक-मकान मालिक है। 69(पुराना)/125 (नया) करनपुर, देहरादून और प्रतिवादी का पति भवानी भीख, रुपये मासिक किराये पर वादी का मासिक किरायेदार था। 60/-. यूपी एक्ट के प्रावधानक्रमांक 13 ऑफ 1972 उक्त संपत्ति पर लागू होते हैं। वादी ने भवानी भीख को एक पंजीकृत नोटिस भेजकर बकाया किराया राशि रुपये की मांग की। 3060/-. उक्त नोटिस इस पृष्ठांकन के साथ वापस लौटा दिया गया कि "पता प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई है"। भवानी भीख की मृत्यु 31.07.1975 को प्रतिवादी के रूप में उनके एकमात्र जीवित कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में हो गई। इस प्रकार, प्रतिवादी वादी का किरायेदार बन गया, उसके बाद, जब किरायेदार ने बकाया किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने 22.08.1975 को किरायेदार को एक नोटिस भेजा और बकाया राशि की मांग की और उसकी किरायेदारी समाप्त कर दी। यह आरोप लगाया गया है कि नोटिस की सेवाओं के बावजूद प्रतिवादी ने न तो उक्त परिसर खाली किया और न ही बकाया किराए का भुगतान किया, जिसके बाद प्रतिवादी/मकान मालिक ने किराए की वसूली और बेदखली के लिए किरायेदार के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य किया।

3. प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान दाखिल किया और इस बात का जोरदार खंडन किया गया कि स्वर्गीय भवानी भीख विचाराधीन संपत्ति में वादी की किरायेदार थी। आगे कहा गया कि वादी और स्वर्गीय भवानी भीख के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है। यह भी कहा गया है कि 02.04.1971 से 01.07.1975 की अवधि के लिए किराये की बकाया राशि रुपये का कोई सवाल ही नहीं है। स्वर्गीय भवानी भीख पर 3060/- बकाया। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी विचाराधीन संपत्ति का एकमात्र मालिक है। इस बात से भी इनकार किया गया है कि भवानी भीख की मृत्यु के बाद प्रतिवादी उक्त

संपत्ति का किरायेदार बन गया। यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन संपत्ति मूल रूप से स्वर्गीय बच्चू ग्वाला की थी। स्वर्गीय भवानी भीख स्वर्गीय बच्चू ग्वाला के निवास (बेटी के बेटे) थे, जिनके पास भवानी भीख की मां के अलावा और कोई मुद्दा नहीं था. भवानी भीख बुरी संगत में पड़ गया और उसे जुआ खेलने और शराब पीने की आदत लग गई और बच्चू ग्वाला ने 10.04.1932 को एक वसीयत निष्पादित की, जिसके तहत उसने भवानी भीख के पक्ष में अपनी पिछली वसीयत रद्द कर दी और विवादित संपत्ति सहित अपनी सभी संपत्ति प्रतिवादी के पक्ष में कर दी। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी श्री बच्चू गवाला की मृत्यु के बाद विचाराधीन संपत्ति का पूर्ण और अनन्य मालिक बन गया और वह तब से आज तक इसके मालिक के रूप में इसके कब्जे में है और लाभकारी आनंद ले रही है और वह न तो इसका पति है। प्रतिवादी और प्रतिवादी वादी का किरायेदार नहीं है। भवानी भीख का पक्ष लिया और विवादित संपत्ति सहित उसकी सभी संपत्तियों की वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में कर दी। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी श्री बच्चू गवाला की मृत्यु के बाद विचाराधीन संपत्ति का पूर्ण और अनन्य मालिक बन गया और वह तब से आज तक इसके मालिक के रूप में इसके कब्जे में है और लाभकारी आनंद ले रही है और वह न तो इसका पति है। प्रतिवादी और प्रतिवादी वादी का किरायेदार नहीं है। भवानी भीख का पक्ष लिया और विवादित संपत्ति सहित उसकी सभी संपत्तियों की वसीयत प्रतिवादी के पक्ष में कर दी। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी श्री बच्चू गवाला की मृत्यु के बाद विचाराधीन संपत्ति का पूर्ण और अनन्य मालिक बन गया और वह तब से आज तक इसके मालिक के रूप में इसके कब्जे में है और लाभकारी आनंद ले रही है और वह न तो इसका पति है। प्रतिवादी और प्रतिवादी वादी का किरायेदार नहीं है।

4. प्रतिवादी द्वारा उठाई गई दलील पर कि वादी मुकदमे की संपत्ति का मालिक नहीं है और उनके बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है और मुकदमा लघु वाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय नहीं है।

5. न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय ने वाद को नियमित सिविल पक्ष में संस्थित करने के लिए वादी को लौटा दिया। न्यायाधीश एससीसी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि वादी ने वाद की वापसी के बाद इसे सिविल जज (जूनियर डिवीजन), देहरादून की अदालत में स्थापित किया था, जिसे 1978 के मूल वाद संख्या 203 के रूप में क्रमांकित किया गया था "दया राम बनाम .भगवान दाई"। यह नोट करना उचित है कि वादी ने, वादपत्र में कोई संशोधन किए बिना, शीर्षक के संबंध में बिना किसी दलील के वही मुकदमा दायर किया।

6. पक्षों की दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे में निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:

(i) क्या पार्टियों से पहले मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता है?

(ii) क्या प्रतिवादी दिनांक 10.04.1932 की वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी है।

(iii) क्या प्रतिवादी मुकदमे की संपत्ति पर दावा करते हैं, उन्हें प्रश्नगत संपत्ति पर अधिकार का दावा करने से रोक दिया गया है।

(iv) क्या किरायेदारी कानूनी रूप से समाप्त कर दी गई है?

(v) राहत?

7. वादी की ओर से कश्मीरी लाल से PW1 के रूप में परीक्षण किया गया, लक्ष्मण दास से PW2 के रूप में परीक्षण किया गया और वादी दया राम से स्वयं PW3 के रूप में परीक्षण कराया गया। प्रतिवादी डीडब्ल्यू1 की ओर से राम पत और डीडब्ल्यू2 दुर्गा प्रसाद की वसीयत दिनांक 10.04.1932 को साबित करने के लिए जांच की गई। प्रतिवादी-

श्रीमती भगवान देवी ने खुद की जांच डीडब्ल्यू 3 के रूप में की और राम आश्रय की जांच डीडब्ल्यू 4 के रूप में की गई और उन्होंने वादी के कथनों का खंडन किया और अपना मामला साबित किया।

8. वादी दया राम-पीडब्ल्यू 3 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है।

9. पक्षों द्वारा दिए गए सबूतों पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे संख्या पर अपना निष्कर्ष दर्ज किया। 1, 2 एवं 4 कि विक्रय विलेख दिनांक 05.04.1966 (प्रदर्श-2) भवानी भीख द्वारा अमला नंद जोशी के पक्ष में निष्पादित किया गया था। प्रदर्श-3 विक्रय विलेख दिनांक 02.04.1968 है, जिसे कश्मीरी लाल द्वारा दया राम के पक्ष में निष्पादित किया गया था। कश्मीरी लाल की जांच PW1 के रूप में की गई। ट्रायल कोर्ट ने अपने निष्कर्ष दर्ज किए कि वादी ने अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है और पीडब्लू 3 दया राम की स्वीकारोक्ति पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चूंकि वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने निष्कर्षों को आगे दर्ज किया कि प्रतिवादी ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है

कि दिनांक 10.04.1932 की वसीयत स्वर्गीय बच्चू गवाला द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित की गई थी और प्रतिवादी संपत्ति का मालिक बन गया। यह माना गया है कि चूंकि प्रतिवादी ने वसीयत दिनांक 10.04.1932 के मद्देनजर संपत्ति अर्जित की है और वादी की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रतिवादी और किरायेदार के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है और नोटिस जारी करके किरायेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। , ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा क्रमांक तय कर दिया है। वादी के विरुद्ध 1, 2 एवं 4। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे संख्या पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए। 3 कि प्रतिवादी को अपने स्वामित्व का दावा करने से रोका नहीं गया है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट निष्कर्षों के आधार पर 1932 को स्वर्गीय बच्चू गवाला द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया और प्रतिवादी संपत्ति का मालिक बन गया। यह माना गया है कि चूंकि प्रतिवादी ने वसीयत दिनांक 10.04.1932 के मद्देनजर संपत्ति अर्जित की है और वादी की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रतिवादी और किरायेदार के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है और नोटिस जारी करके किरायेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। , ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा क्रमांक तय कर दिया है। वादी के विरुद्ध 1, 2 एवं 4। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे संख्या पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए। 3 कि प्रतिवादी को अपने स्वामित्व का दावा करने से रोका नहीं गया है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट निष्कर्षों के आधार पर 1932 को स्वर्गीय बच्चू गवाला द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित किया गया और प्रतिवादी संपत्ति का मालिक बन गया। यह माना गया है कि चूंकि प्रतिवादी ने वसीयत दिनांक 10.04.1932 के मद्देनजर संपत्ति अर्जित की है और वादी की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रतिवादी और किरायेदार के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है और नोटिस जारी करके किरायेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। , ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा क्रमांक तय कर दिया है। वादी के विरुद्ध 1, 2 एवं 4। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे संख्या पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए। 3 कि प्रतिवादी को अपने स्वामित्व का दावा करने से रोका नहीं गया है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट निष्कर्षों के आधार पर 1932 और वादी की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रतिवादी और किरायेदार के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है और नोटिस जारी करके किरायेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा संख्या तय कर दी है। वादी के विरुद्ध 1, 2 एवं 4। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे संख्या पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए। 3 कि प्रतिवादी को अपने स्वामित्व का दावा करने से रोका नहीं गया है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट निष्कर्षों के आधार पर 1932 और वादी की स्वीकारोक्ति के अनुसार प्रतिवादी और किरायेदार के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं

है और नोटिस जारी करके किरायेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा संख्या तय कर दी है। वादी के विरुद्ध 1, 2 एवं 4। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे संख्या पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए। 3 कि प्रतिवादी को अपने स्वामित्व का दावा करने से रोका नहीं गया है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट निष्कर्षों के आधार पर अंक संख्या पर दर्ज किया गया। 1 से 4 ने भी अंक संख्या 5 पर अपने निष्कर्ष दर्ज किए और अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 04.05.1979 द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया।

10. व्यथित महसूस करते हुए, वादी-प्रतिवादी ने जिला न्यायाधीश, देहरादून के समक्ष 1979 की सिविल अपील संख्या 52 "दया राम बनाम भगवान देवी" दायर की। इसके बाद, इसे सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रथम अपीलीय अदालत ने दिनांक 30.08.1988 के निर्णय और डिक्री द्वारा ट्रायल कोर्ट के किराए की वसूली और बेदखली के मुकदमे के फैसले को पलटे बिना अपील की अनुमति दी। व्यथित होकर प्रतिवादी ने यह द्वितीय अपील दायर की है।

11. यह दूसरी अपील माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष वर्ष 1988 में स्थापित की गई थी, 13.12.1988 को अपील स्वीकार कर ली गई और एक अंतरिम आदेश दिया गया। इस न्यायालय में दूसरी अपील वर्ष 2001 में प्राप्त हुई थी। इसके बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 22.12.2016, 24.05.2018, 26.06.2019 और 27.10.2020 के आदेश के माध्यम से कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं:

a) कौन सी वसीयत असली है, चाहे पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.10.1930 या अपंजीकृत वसीयत दिनांक 10.04.1932?

बी) क्या सभी लेनदेन भवानी भीख द्वारा दर्ज किए गए हैं। बंधक विलेख दिनांक 25.5.1950, विक्रय विलेख दिनांक 06.02.1954, विक्रय विलेख दिनांक 05.4.1966 और किराया विलेख दिनांक 05.04.1966 का पार्टियों में विवाद पर कोई असर पड़ता है?

ग) क्या पार्टियों की दलीलों से उत्पन्न उचित मुद्दों को तैयार किए बिना, किसी मामले का फैसला किया जा सकता है?

घ) क्या निचली अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को रद्द किए बिना मुकदमे पर फैसला सुना सकती है?

ई) क्या किसी निष्कर्ष के अभाव में कि अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती हितधारक ने किराए के भुगतान में कोई चूक की है, डिफ़ॉल्ट के आधार पर मुकदमा डिक्री किया जा सकता है?

च) क्या पहली अपीलीय अदालत, जो तथ्यों और कानून पर अंतिम अदालत थी, ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलटने/अलग करने के बिना और किसी भी मुद्दे या कानून के किसी भी प्रश्न पर अपने निष्कर्षों को दर्ज किए बिना अपील की अनुमति देकर कानून में गलती की है?

छ) क्या वर्ष 1988 में लागू धारा 102 सीपीसी में निहित प्रावधानों के मद्देनजर दूसरी अपील सुनवाई योग्य नहीं है?

ज) क्या प्रथम अपीलीय अदालत ने वादी की दलीलों से परे सबूतों की सराहना करके कानूनी गलती की है?

12. इस न्यायालय द्वारा मामले का रिकॉर्ड तलब किया गया है। हालाँकि, समय की बर्बादी के कारण अधिकांश दस्तावेज़ ख़त्म हो गए हैं। पक्षकारों के पास उपलब्ध कागजातों और पक्षकारों तथा उनके गवाहों के बयानों के आधार पर फाइल का पुनर्निर्माण किया गया है।

13. वादपत्र की सामग्री के साथ-साथ लिखित बयान में की गई दलील को इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती पैराग्राफ संख्या में पहले ही विज्ञापित किया जा चुका है। 2 और 3, अत: पुनरावृत्ति के लिए उसे यहाँ दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

14. कानून के सारगर्भित प्रश्न 'ए' का उत्तर:

कौन सी वसीयत असली है, चाहे पंजीकृत वसीयत दिनांक 13.10.1930 या गैर-पंजीकृत वसीयत दिनांक 10.04.1932?

प्रतिवादी ने भगवान देवी के पक्ष में स्वर्गीय बच्चू ग्वाला, जो विवाद में संपत्ति के वास्तविक मालिक थे, द्वारा निष्पादित दिनांक 10.04.1932 की वसीयत प्रस्तुत की। प्रतिवादी गवाह डीडब्ल्यू1 राम पैट और डीडब्ल्यू2 दुर्गा प्रसाद ने वसीयत के निष्पादन को साबित करते हुए कहा है कि स्वर्गीय बच्चू गवाला ने प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 10.04.1932 को वसीयत निष्पादित की थी। उन्होंने इस तथ्य को भी साबित कर दिया है कि वसीयत दिनांक 10.04.1932 द्वारा, स्वर्गीय बच्चू गवाला ने 13.10.1930 की पिछली वसीयत को रद्द कर दिया था, जिसे उनके द्वारा स्वर्गीय भवानी भीख के पक्ष में निष्पादित किया गया था। प्रतिवादी गवाहों, अर्थात्, DW1 राम पैट और DW2 दुर्गा प्रसाद ने भी इस तथ्य को साबित किया है कि स्वर्गीय बच्चू गवाला साक्षर थे और दिनांक 10.04.1932 की वसीयत पर हस्ताक्षर करने में सक्षम थे। DW4 राम आश्रय की जांच की गई कि वह भवानी भीख के खातों का रखरखाव कर रहा था और उसने भवानी भीख द्वारा बनाए गए खाता

बही को साबित कर दिया। उन्होंने इस तथ्य को भी साबित कर दिया कि स्वर्गीय बच्चू गवाला एक साक्षर व्यक्ति थे और उन्होंने कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए थे, जो नगरपालिका रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं। ट्रायल कोर्ट ने यह भी निष्कर्ष दिया है कि स्वर्गीय बच्चू गवाला ने वसीयत दिनांक 10.04.1932 को भगवान देवी के पक्ष में निष्पादित की थी। प्रतिवादी ने वसीयत दिनांक 10.04.1932 के आधार पर अपने स्वामित्व का दावा किया, जिसमें कहा गया था कि स्वर्गीय बच्चू गवाला, जो उसके पति के मामा थे, ने वसीयत दिनांक 10.04.1932 को उनके पक्ष में निष्पादित की थी। दिनांक 10.04.1932 की वसीयत को साबित करने के लिए, उक्त वसीयत के प्रमाणित गवाह, राम पैट डीडब्ल्यू1 और दुर्गा प्रसाद डीडब्ल्यू2 ने प्रतिवादी के पक्ष में उक्त वसीयत के निष्पादन को यह कहते हुए साबित कर दिया कि वसीयत का निष्पादन स्वर्गीय बच्चू गवाला द्वारा किया गया था। 10.04.1932 को भगवान देवी के पक्ष में और स्वर्गीय बच्चू गवाला के हस्ताक्षरों की भी पहचान की गई। इस तथ्य को साबित करने के लिए डीडब्ल्यू4 की जांच की गई कि स्वर्गीय बच्चू गवाला अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि वादी ने दावा किया था, बल्कि वह एक शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने वसीयत दिनांक 10.04.1932 पर हस्ताक्षर भी किए थे, उनके हस्ताक्षर नगरपालिका रिकॉर्ड में भी उपलब्ध हैं। ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 10.04.1932 की वसीयत पर विचार करने के बाद अपने निष्कर्ष दर्ज किए कि दिनांक 10.04.1932 की वसीयत को प्रतिवादी के पक्ष में स्वर्गीय बच्चू गवाला ने 13.10.1930 की पिछली वसीयत को रद्द करते हुए निष्पादित किया था। भवानी भीख के पक्ष में निष्पादित किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आगे अपने निष्कर्ष को दर्ज किया कि दिवंगत बच्चू गवाला ने प्रतिवादी के पक्ष में संपत्ति की वसीयत कर दी। इस प्रकार, कानून 'ए' के महत्वपूर्ण प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया गया है कि दिनांक 10.04.1932 की वसीयत वास्तविक है, जिसके तहत, दिनांक 13.10.1930 की वसीयत को रद्द कर दिया गया था।

15. कानून के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर:-

(बी) क्या सभी लेन-देन भवानी भीख द्वारा दर्ज किए गए हैं। बंधक विलेख दिनांक 25.5.1950, विक्रय विलेख दिनांक 06.02.1954, विक्रय विलेख दिनांक 05.4.1966 और किराया विलेख दिनांक 05.04.1966 का पार्टियों में विवाद पर कोई असर पड़ता है?

वादी ने बंधक विलेख, बिक्री विलेख और किराया विलेख दायर किया है, लेकिन वादी में ऐसा कोई दलील नहीं है जो यह सुझाव दे कि किसी भी बंधक विलेख, बिक्री विलेख और किराया विलेख को कश्मीरी लाल के

पक्ष में भवानी भीख द्वारा निष्पादित किया गया था, जिन्होंने बाद में बिक्री विलेख निष्पादित किया था। वादी का पक्ष. यह भी कहीं नहीं कहा गया है कि स्वर्गीय भवानी भीख ने पंडित के पक्ष में संपत्ति गिरवी रखी थी। अमलानंद जोशी ने बंधक विलेख दिनांक 25.5.1950 के माध्यम से और 27.05.1950 को इसे पंजीकृत किया। यह भी नहीं बताया गया है कि कश्मीरी लाल ने वादी के पक्ष में 05.04.1966 को कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया था। चूँकि, इन दस्तावेज़ों के संबंध में वादी में कोई दलील नहीं है, इसलिए, उक्त दस्तावेज़ को प्रश्नगत संपत्ति पर वादी का स्वामित्व तय करने के लिए नहीं माना जा सकता है। यह स्थापित कानून है कि सबूतों को दलीलों से परे नहीं देखा जा सकता है। बोंदर सिंह एवं अन्य बनाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय। निहाल सिंह और अन्य ने (2003) 4 एससीसी 161 में स्पष्ट रूप से माना है कि दलीलों से परे किसी भी सबूत पर गौर नहीं किया जा सकता है। अबुबकर अब्दुल इनामदार बनाम में। हारुन अब्दुल इनामदार (सुप्रा) ने 1995 (5) एससीसी 612 में रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दलीलों में प्रतिकूल कब्जे की दलील नहीं उठाई गई, तो सबूत की कोई भी मात्रा उन दलीलों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती जो मुकदमेबाजी के दावे की नींव हैं दल।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम बजरंग लाल के मामले में (2014) 4 एससीसी 693 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

14. यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि एक पक्ष को मामले की पैरवी करनी होगी और वादपत्र में किए गए अपने प्रस्तुतीकरण को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करना होगा और यदि दलीलें पूरी नहीं होती हैं, तो अदालत दलीलों पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। (वीडियो: मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य , एआईआर 1998 एससी 1608; नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बनाम एस. रघुनाथन और अन्य , एआईआर 1998 एससी 2779; राम नारायण अरोड़ा बनाम आशा रानी और अन्य , (1999) 1 एससीसी 141; श्रीमती चित्रा कुमारी बनाम भारत संघ और अन्य , एआईआर 2001 एससी 1237; और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे, एआईआर 2001 एससी 1298.)

15. मैसर्स में। अतुल कास्टिंग्स लिमिटेड बनाम बावा गुरवचन सिंह , एआईआर 2001 एससी 1684, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: - "आवश्यक दलीलों और सहायक साक्ष्यों के अभाव में निष्कर्षों को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।" (यह भी देखें: विट्ठल एन.

शेट्टी और अन्य बनाम प्रकाश एन. रुद्राकर और अन्य , (2003) 1 एससीसी 18; देवसहायम (मृत) एल.आर.एस. बनाम पी. सविथ्रम्मा और अन्य द्वारा, (2005) 7 एससीसी 653; सैत नागजी पुरूषोत्तम एंड कंपनी लिमिटेड बनाम विमलाबाई प्रभुलाल और अन्य , (2005) 8 एससीसी 252, राजस्थान प्रदेश बनाम सरदारशहर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 2010 एससी 2221; रितेश तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य , एआईआर 2010 एससी 3823; औरभारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य । (2012) 8 एससीसी 148)।

कानून में यह स्थापित स्थिति है कि वादी को अपने मामले के बल पर सफल होना है, न कि अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों पर। वाद की संपत्ति के स्वामित्व के तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है, लेकिन वादी वाद की संपत्ति पर अपना हक साबित करने और उसे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। सखाराम महाजन बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय। (2007) 6 एससीसी 737 में रिपोर्ट किए गए दामोदर ट्रिमबैक टैंकसेल (मृत) और अन्य ने माना है कि मुकदमा स्वामित्व के बल पर कब्जे की वसूली के लिए है, उस स्वामित्व को स्थापित करने का भार वादी पर है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में। नोमी सिंह और एक अन्य ने (2015) 14 एससीसी 450 में रिपोर्ट दी है कि वादी को अपना मामला साबित करके अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। बनाम वासवी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने एआईआर 2014 (4) सीटीसी 471 में बताया है कि वादी को पर्याप्त सबूत जोड़कर केवल अपने स्वामित्व के बल पर ही सफल होना है। इस प्रकार, सारवान प्रश्न का निर्णय तदनुसार किया जाता है।

16. कानून के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर:-

(सी) क्या पार्टियों की दलीलों से उत्पन्न उचित मुद्दों को तैयार किए बिना, किसी मामले का फैसला किया जा सकता है?

वादी ने कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि वह किस आधार पर वाद संपत्ति का मालिक/मकान मालिक बन गया है। केवल यह दावा करना कि वादी मुकदमे की संपत्ति का मालिक/मकान मालिक है, संपत्ति के स्वामित्व से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों के अवलोकन से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वामित्व का कोई प्रश्न तय नहीं किया गया है। वादी ने इस संबंध में याचिका दायर करके मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार साबित नहीं किया, इस प्रकार कानून 'सी' का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है।

17. विधि 'घ' के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर:-

क्या निचली अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को रद्द किए बिना मुकदमे पर फैसला सुना सकती है?

दया राम पीडब्लू 3 द्वारा स्वयं की गई स्वीकारोक्ति के मद्देनजर कि वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है। PW3 के बयान का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

ÞHkokuhfHk[kus5000 #i;sdkdks bZdtZughafy;kFkkvkS ju dks bZtk;nkn fy[kh xbZ A 60 #i;sefgus5000 #i;sdk lw n ughar; gq vk FkkA tc rd fd HkokuhfHk[kftUnkjgkrc rd eS usE;w a Fuflis fyVhes auke ugantZdjkA ;g eS औघा dg ldrk fd blusVS Dl fn;k ;k ughatuojh 1970 es ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए सभी मुद्दों पर, प्रथम अपीलीय अदालत ने गुप्त और सरसरी तरीके से वादी की अपील की अनुमति दी। यह माना जाता है कि प्रथम अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलटे बिना अपील की अनुमति देकर अवैधता की है। इस प्रकार, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है।

18. कानून के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर:-

(ई) क्या किसी निष्कर्ष के अभाव में कि अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती-हित ने किराए के भुगतान में कोई चूक की है, डिफ़ॉल्ट के आधार पर मुकदमा डिक्री किया जा सकता है?

प्रांतीय लघु वाद न्यायालय की अदालत से मुकदमा वापस लेने के बाद, वादी ने खुद को मुकदमे की संपत्ति का मालिक/मकान मालिक होने का दावा करते हुए नियमित सिविल अदालत में मुकदमा दायर किया। वादी के अवलोकन से पता चलता है कि न तो वादी ने अपने स्वामित्व की वकालत की है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश किया गया है। वादी-दया राम ने स्वयं अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि वादी और प्रतिवादी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है।

19. विधि 'च' के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर:-

क्या पहली अपीलीय अदालत, जो तथ्यों और कानून पर अंतिम अदालत थी, ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलटने/अलग करने के बिना और किसी भी मुद्दे या कानून के किसी भी प्रश्न पर अपने

निष्कर्षों को दर्ज किए बिना अपील की अनुमति देकर कानून में गलती की है?

इस समय, आदेश 41 नियम 31 सीपीसी को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा, वही नीचे दिया गया है;

"आदेश 41 नियम 31 सामग्री, तारीख और निर्णय के हस्ताक्षर - अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा और इसमें कहा जाएगा -

(ए) निर्धारण के लिए बिंदु;

(बी) उस पर निर्णय;

(सी) निर्णय के कारण; और

(डी) जहां अपील की गई डिक्री उलट दी गई है या उसमें बदलाव किया गया है, अपीलकर्ता जिस राहत का हकदार है;

और जिस समय इसे सुनाया जाएगा उस समय न्यायाधीश या उससे सहमत न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।

प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को पढ़ने से पता चलेगा कि अपीलीय अदालत ने सीपीसी के आदेश 41, नियम 31 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, ऐसे में फैसला कानून की दृष्टि से दूषित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में माना है कि प्रथम अपीलीय अदालत तथ्यों की अंतिम अदालत है। इसलिए अपीलीय अदालत के फैसले को अदालत के दिमाग के प्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और उसे कारणों से समर्थित अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना चाहिए। प्रथम अपीलीय अदालत की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित कानून कानूनी प्रावधानों और न्यायिक घोषणाओं द्वारा अच्छी तरह से मजबूत है। प्रथम अपीलीय अदालत को आदेश 41 नियम 31 सीपीसी में निहित प्रावधानों के असंगत होने पर पहली अपील पर निर्णय लेने में सतर्क रहना चाहिए, एलआरएस द्वारा एच. सिद्दीकी (मृत) को संदर्भ दिया जा सकता है। बनाम ए.

अपीलीय अदालत के लिए पार्टियों के साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना और निर्णय के लिए आने वाले प्रासंगिक बिंदुओं पर विचार करना और उन बिंदुओं पर साक्ष्य को लागू करना अनिवार्य है। तथ्य की अंतिम अदालत होने के नाते, पहली अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट के फैसले के साथ सहमति की केवल सामान्य अभिव्यक्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ट्रायल कोर्ट के प्रत्येक बिंदु पर

अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र रूप से कारण बताना चाहिए। इस प्रकार, संपूर्ण साक्ष्य पर विस्तार से विचार और चर्चा की जानी चाहिए। ऐसा अभ्यास उक्त प्रावधानों के संदर्भ में विचार के लिए बिंदु तैयार करने के बाद किया जाना चाहिए और अदालत को उक्त वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में आगे बढ़ना चाहिए।" प्रथम अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट के फैसले के साथ सहमति की केवल सामान्य अभिव्यक्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ट्रायल कोर्ट के प्रत्येक बिंदु पर स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय के कारण बताने चाहिए। इस प्रकार, संपूर्ण साक्ष्य पर विस्तार से विचार और चर्चा की जानी चाहिए। ऐसा अभ्यास उक्त प्रावधानों के संदर्भ में विचार के लिए बिंदु तैयार करने के बाद किया जाना चाहिए और अदालत को उक्त वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में आगे बढ़ना चाहिए।" प्रथम अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट के फैसले के साथ सहमति की केवल सामान्य अभिव्यक्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ट्रायल कोर्ट के प्रत्येक बिंदु पर स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय के कारण बताने चाहिए। इस प्रकार, संपूर्ण साक्ष्य पर विस्तार से विचार और चर्चा की जानी चाहिए। ऐसा अभ्यास उक्त प्रावधानों के संदर्भ में विचार के लिए बिंदु तैयार करने के बाद किया जाना चाहिए और अदालत को उक्त वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुपालन में आगे बढ़ना चाहिए।"

ललितेश्वर प्रसाद सिंह बनाम एस.डी

श्रीवास्तव ने (2017) 2 एससीसी 415 में बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक अपीलीय अदालत तथ्यों की अंतिम अदालत है। अपीलीय अदालत के फैसले को इसलिए अदालत के दिमाग के प्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और आदेश एक्सएलआई नियम 31 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार, प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को स्पष्ट रूप से निर्धारण के लिए बिंदु निर्धारित करने चाहिए, उस पर अपने कारण दर्ज करें और साक्ष्य के आधार पर अपने तर्क दें। आगे यह माना जाता है कि प्रथम अपील की अदालत द्वारा निर्धारण के लिए आने वाले बिंदुओं में मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होने चाहिए और वे सामान्य और अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। भले ही अपीलीय अदालत का तथ्य के सवाल पर एक अलग दृष्टिकोण रखना उचित होगा, जो कि ट्रायल जज द्वारा विचाराधीन निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दिए गए कारणों पर ध्यान देने के बाद किया जाना चाहिए। जब अपीलीय अदालत साक्ष्य पर ट्रायल कोर्ट के विचारों से सहमत होती है, इसमें साक्ष्य के प्रभाव को दोहराने या ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए कारणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है; ट्रायल कोर्ट

द्वारा दिए गए कारणों के साथ सामान्य सहमति की अभिव्यक्ति आमतौर पर पर्याप्त होगी। हालाँकि, जब पहली अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलट देती है, तो उसे निष्कर्षों को स्पष्ट शब्दों में दर्ज करना चाहिए, जिसमें बताया जाए कि ट्रायल कोर्ट के तर्क कैसे गलत हैं। उनके द्वारा चर्चा छोड़े जाने के मद्देनजर, इस न्यायालय का मानना है कि प्रथम अपीलीय अदालत, वादी की अपील की अनुमति देते समय संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही। इस प्रकार, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है। जब पहली अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलट देती है, तो उसे निष्कर्षों को स्पष्ट शब्दों में दर्ज करना चाहिए, जिसमें बताया जाए कि ट्रायल कोर्ट के तर्क कैसे गलत हैं। उनके द्वारा चर्चा छोड़े जाने के मद्देनजर, इस न्यायालय का मानना है कि प्रथम अपीलीय अदालत, वादी की अपील की अनुमति देते समय संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही। इस प्रकार, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है। जब पहली अपीलीय अदालत ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलट देती है, तो उसे निष्कर्षों को स्पष्ट शब्दों में दर्ज करना चाहिए, जिसमें बताया जाए कि ट्रायल कोर्ट के तर्क कैसे गलत हैं। उनके द्वारा चर्चा छोड़े जाने के मद्देनजर, इस न्यायालय का मानना है कि प्रथम अपीलीय अदालत, वादी की अपील की अनुमति देते समय संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही। इस प्रकार, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है। वादी की अपील स्वीकार करते समय संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। इस प्रकार, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है। वादी की अपील स्वीकार करते समय संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा। इस प्रकार, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है।

20. कानून के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर:-

(छ) क्या वर्ष 1988 में लागू धारा 102 सीपीसी में निहित प्रावधानों के मद्देनजर दूसरी अपील सुनवाई योग्य नहीं है?

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी दलील दी है कि चूंकि दूसरी अपील वसूली और बेदखली के मुकदमे से उत्पन्न हो रही है, इसलिए, वर्ष 1988 में लागू सीपीसी की धारा 102 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, वर्तमान दूसरी अपील अक्षम्य है. अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने हरा मोहन साहा बनाम में दिए गए माननीय

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। सुधांशु भूषण पाल और अन्य। एआईआर 1923 कलकत्ता 83 में रिपोर्ट किया गया।

इस समय, सीपीसी (पुराना) अधिनियम, 1982 की धारा 102 और प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 23 को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा , जो इस प्रकार है:

102. कुछ वादों में कोई दूसरी अपील नहीं.- छोटे वादों के न्यायालयों द्वारा संज्ञेय प्रकृति के किसी भी मुकदमे में कोई दूसरी अपील नहीं की जाएगी, जब मूल मुकदमे की विषय-वस्तु की राशि या मूल्य अधिक न हो।

"23. वादों में वादों की वापसी

शीर्षक के प्रश्न शामिल हैं।-

(1) किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के पूर्ववर्ती भाग में, जब किसी वादी का अधिकार और लघु वाद न्यायालय में उसके द्वारा दावा की गई राहत अचल संपत्ति या अन्य शीर्षक के स्वामित्व के प्रमाण या खंडन पर निर्भर करती है, जिसे ऐसा न्यायालय अंततः निर्धारित नहीं कर सकता है, तो न्यायालय ऐसा कर सकता है। कार्यवाही के किसी भी चरण में वादपत्र को उस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दें जिसके पास स्वामित्व निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है।

(2) जब कोई न्यायालय उप-धारा (1) के तहत एक वाद लौटाता है, तो वह नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 57 के दूसरे पैराग्राफ के प्रावधानों का पालन करेगा और लागत के संबंध में ऐसा आदेश देगा जैसा वह उचित समझे और न्यायालय, भारतीय परिसीमा अधिनियम , 1877 के प्रयोजनों के लिए, क्षेत्राधिकार के दोष जैसी प्रकृति के कारण मुकदमे पर विचार करने में असमर्थ माना जाएगा।

अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि मूल मुकदमे में शीर्षक का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था और शीर्षक का आकस्मिक प्रश्न तय नहीं किया जाना था और इसलिए प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 23 के तहत वादपत्र की वापसी के बाद , उक्त मुकदमे को एससीसी मुकदमा नहीं कहा जा सकता है और यह मूल मुकदमा है जिसमें स्वामित्व का प्रश्न शामिल है, इसलिए, सीपीसी की धारा 102 को आकर्षित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, प्रतिवादी के विद्वान वकील का यह तर्क कि दूसरी अपील सुनवाई योग्य नहीं है,

गलत है। उन्होंने आगे कहा कि सीपीसी की धारा 102 के तहत, सीपीसी की धारा 102 के प्रयोजन के लिए नियमित सिविल सूट को एससीसी सूट के रूप में मानने का कोई प्रावधान नहीं है।

माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा फैसले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के अनुपात से गुजरने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि उक्त मामले में, यह माना गया है कि धारा 23 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर अधिनियम के अनुसार, मामले को फ्रेम किए गए अनुसार चलाया जाना चाहिए और मामले की योग्यता तय करने के लिए स्वामित्व के प्रश्न पर केवल संयोगवश विचार किया जा सकता है। निर्णय के तथ्य (सुप्रा) वर्तमान मामले से पूरी तरह से अलग हैं, जिसमें यह माना गया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए वाद को उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिसके पास स्वामित्व निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है। यह नहीं कहता कि शीर्षक अंततः निर्धारित करो। माना जाता है कि न्यायाधीश, एससीसी ने धारा 23 के तहत वाद वापस कर दिया नियमित सिविल न्यायालय में मुकदमा संस्थित करने के लिए अधिनियम का। वाद में, वादी ने दावा किया है कि वह मुकदमे की संपत्ति का मालिक/मकान मालिक है और उसने भवानी भीख की किरायेदारी को समाप्त कर दिया है और उसके बाद, प्रतिवादी विचाराधीन संपत्ति का किरायेदार बन गया है। वादी ने कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि वह किस आधार पर वाद संपत्ति का मालिक बन गया है। केवल यह दावा करना कि वादी मुकदमे की संपत्ति का मालिक/मकान मालिक है, संपत्ति के स्वामित्व से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। वादपत्र के अवलोकन से यह पता चलेगा कि वादी इस बात से असहमत है कि उसे वाद की संपत्ति पर स्वामित्व किस आधार पर मिला। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों के अवलोकन से पता चलता है कि ट्रायल द्वारा स्वामित्व का कोई प्रश्न नहीं बनाया गया है। अदालत। चूँकि, प्रतिवादी ने स्वामित्व पर एक मुद्दा उठाया है कि वादी मुकदमे की संपत्ति का मालिक नहीं है, निचली अदालत को इस संबंध में मुद्दा तय करना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि वादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष यह दलील नहीं उठाई कि मुद्दा ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया गया है। चूंकि, वादी ने मुकदमे की संपत्ति पर अपने स्वामित्व/स्वामित्व का दावा किया है, इसलिए, शीर्षक/स्वामित्व का प्रश्न शामिल है जिसे स्वामित्व का आकस्मिक प्रश्न नहीं कहा जा सकता है। चूंकि, मुकदमे की संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करते हुए नियमित मुकदमा दायर किया गया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, सीपीसी की धारा 96 के तहत पहली अपील दायर की गई थी, इसलिए,

कानून 'जी' का सारगर्भित प्रश्न तदनुसार तय किया जाता है और यह माना जाता है कि दूसरी अपील सक्षम है।

21. कानून के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर:-

(ज) क्या प्रथम अपीलीय अदालत ने वादी की दलीलों से परे सबूतों की सराहना करके कानूनी गलती की है?

वादी ने दावा किया है कि वह वाद संपत्ति का मालिक/मकान मालिक है। वादी ने यह नहीं कहा है कि वह किस आधार पर वाद संपत्ति का मालिक बन गया है। चूंकि, एससीसी मुकदमा अधिनियम की धारा 23 के तहत नियमित नागरिक पक्ष में स्थापित करने और स्वामित्व की राहत का दावा करने के लिए वापस कर दिया गया था, लेकिन वादी ने शीर्षक के आधार पर वादपत्र में संशोधन करके मुकदमा दायर करने का प्रयास नहीं किया। हालाँकि, वादी ने बंधक विलेख, बिक्री विलेख और किराया विलेख दायर किया है, लेकिन तथ्य यह है कि वादी में यह सुझाव देने वाली कोई दलील नहीं है कि किसी भी बंधक विलेख, बिक्री विलेख और किराया विलेख को कश्मीरी लाल के पक्ष में भवानी भीख द्वारा निष्पादित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वादी के पक्ष में हस्तांतरित किया गया। यह स्थापित कानून है कि सबूतों को दलीलों से परे नहीं देखा जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेंद्र एल. जैन एवं अन्य बनाम. इंदौर विकास प्राधिकरण और अन्य ने (2005) 1 एससीसी 639 में रिपोर्ट दी, इस न्यायालय ने माना कि केवल दस्तावेजों के गैर-उत्पादन से प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि किसी दलील के अभाव में कोई दस्तावेज़ मांगा गया था, तो वह प्रासंगिक नहीं था। जरूरी नहीं कि केवल इसलिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाए क्योंकि ऐसा करना वैध होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में यह माना है कि किसी मामले का निर्णय पार्टियों की दलीलों के बाहर के आधार पर नहीं हो सकता है। उस संबंध में दलीलों के अभाव में किसी भी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं है। किसी भी पक्ष को अपनी दलील से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और पार्टी द्वारा उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में सभी आवश्यक और भौतिक तथ्यों की वकालत की जानी चाहिए। आगे यह माना गया कि जहां सबूत दलीलों के अनुरूप नहीं थे, वहां उक्त सबूतों पर गौर नहीं किया जा सकता या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, सारवान प्रश्न का निर्णय तदनुसार किया जाता है।

22. उपरोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, (ए) से (एच) तक कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय तदनुसार अपीलकर्ता के पक्ष में किया जाता है।

23. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी/प्रतिवादी की अपील स्वीकार करने में अवैधता की है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है। वही रद्द किये जाने योग्य है।

24. परिणामस्वरूप, दूसरी अपील स्वीकार की जाती है। सिविल जज, सीनियर डिवीजन, देहरादून द्वारा सिविल अपील संख्या 52/1979 में पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक 30.08.1988 को रद्द किया जाता है। वादी द्वारा दायर मूल वाद को इसके द्वारा खारिज किया जाता है।

25. तथ्यों और परिस्थितियों में, पार्टियां अपनी लागत स्वयं वहन करेंगी।

26. रजिस्ट्री को निचली अदालत का रिकॉर्ड वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(लोक पाल सिंह, जे.) दिनांक: 15.01.2021 ममता